

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.आ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री रामसिंह गुर्जर, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन संख्या 254 / 2022

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. दुदाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 33 वर्ष जाति जाट निवासी वणाकों का बेरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. मोटाराम पुत्र डालूराम उम्र 55 वर्ष 2. चेनाराम पुत्र डालूराम उम्र 60 वर्ष 3. मोतीराम पुत्र टीकमाराम 4. देदाराम पुत्र टीकमाराम उम्र 37 वर्ष जातियान जाट निवासी वणाकों का बेरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 5 तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम  
1956 (वास्ते-विवादित भूमि की करने नेखमबन्दी बाबत)

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया, प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. विप्रार्थीगण एकतरफा।

आदेश

दिनांक 14.06.2023

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि प्रार्थी का खेत मौजा वणाकों का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर खातेदारी का अवस्थित है। प्रार्थी के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढा आई हुई है। खेतों के बीच किरसी प्रकार कि कोई पक्की माटे

उपखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थीगण द्वारा खेत मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर भूमी की पक्की नेखमबंदी करवाने हेतु यह आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामील शुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थीगण को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिए जाने के उपरांत भी हाजिर नहीं होने पर उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया, कि प्रार्थी के खेत मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर भूमी आई हुई है। प्रार्थीगण के उपरोक्त खेत विप्रार्थीगण के खेतों के सेढा सेढ आई हुई है। खेतों के बीच किसी प्रकार कि कोई पक्की माटे या सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमाओ को लेकर पक्षकारान मे तनाजा एवं विवाद बना रहता है। इस कारण प्रार्थी द्वारा मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर भूमी की पक्की नेखमबंदी के आदेश फरमावे जावे।

4. हमने वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड व संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। तथ्यो का विधि के परिप्रेक्ष्य में विवेचन किया गया। जिसमें पाया कि मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर भूमी प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है, जो पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी मय नक्शा खतौनी संवत 2076-2079 का अवलोकन करने से स्पष्ट है, इस प्रकार प्रार्थी विवादित भूमि का रिकार्डेड खातेदार है, और रिकार्डेड खातेदार अपनी भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए स्वतंत्र है, जिसका प्रार्थी हकदार भी है एवं विप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस तामीली के हाजिर नहीं हुए है, इससे प्रतीत होता है कि प्रार्थी के आवेदन को स्वीकार करने की उनकी ओर से मौन स्वीकृति है। यदि कोई आपत्ति होती, तो न्यायालय में उपस्थित होकर उजर एतराज पेश करें। लेकिन ऐसा विप्रार्थीगण की ओर से नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

अखण्ड अधिकारी  
सिणधरी

5. लिहाजा,प्रार्थी का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा वणाको का बेरा पटवार क्षेत्र एड सिणधरी तहसील सिणधरी के खेत खचरा संख्या 6/6 रकबा 2.5484 हैक्टर भूमी के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है,उक्त कार्यवाही प्रार्थी व विप्रार्थीगण को पूर्व में जरिये नोटिस/पत्र के जरिये सुचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर की जावे। कमिश्नर फीस 500/प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल मिसल हो।

  
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

आदेश आज दिनांक 14.06.2023 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी